आ.सं.मा.सं.65

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें)अनुभाग–4(अधि0)
संख्या–एस0डी0–4–[illegible]06 'दस–2012–ई0एम0–24 / 04 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 1] मई,2012

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिये विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या–65 के लेखा शीर्ष– "2052–सचिवालय सामान्य सेवायें– आयोजनेतर–090–सचिवालय–03–वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण" के अन्तर्गत प्राविधानित आय– व्ययक की धनराशि रू0 14.00 लाख (रूपये चौदह लाख मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान अवधि में व्यय के लिये उपलब्ध धनराशि रू0 4.60 लाख की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की महामहिम राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

लेखा शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–आयोजनेतर–090–सचिवालय–03–वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण	वित्तीय वर्ष 2012–2013 में व्यय हेतु मदवार प्राविधानित धनराशि (हजार रूपये में)
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	100
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	100
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत् सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200
जोड़	460

2– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–65 के अन्तर्गत उपर्युक्त लेखा शीर्ष की मदों के नामे डाला जायेगा ।

अरविन्द नारायण मिश्र
विशेष सचिव

संख्या–एस0डी0–4– (1) / दस–2012–तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी,उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– मुख्य कोषाधिकारी, उच्चाहर भवन,लखनऊ ।
3– वित्त(लेखा) एकोष्ठ को 05 प्रतियों में ।
4– वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 ।
5– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव